



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1942 (श10)

(सं० पटना 909) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

अधिसूचना संख्या 04 / 2020 - राज्य कर (दर)

एस०ओ० 183 दिनांक 25 नवम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-9) 05)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 183, दिनांक 25 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-9) 05]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 25<sup>th</sup> November 2020

**Notification No. 04/2020- State Tax (Rate)**

S.O. 183, Dated 25<sup>th</sup> November 2020—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 555, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

- (i) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures “2020”, the figures “2021” shall be substituted;
- (ii) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures “2020”, the figures “2021” shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9) 05)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 909-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1942 (श10)

(सं0 पटना 910) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 184 दिनांक 25 नवम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 129, दिनांक 09 जून, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 348, दिनांक 09 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु और भी कि, जहां अनुमोदन पर बिक्री या वापसी के लिए भारत से बाहर भेजे या ले जाये जा रहे माल के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 30वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम के खंड 31 के उपखंड (7) के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जायेगी।

(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 2122)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 184, दिनांक 25 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-10) 2122)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 25<sup>th</sup> November 2020

S.O. 184, Dated 25<sup>th</sup> November 2020— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 129, dated the 09<sup>th</sup> June, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 348, dated the 09<sup>th</sup> June, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that where, any time limit for completion or compliance of any action, by any person, has been specified in, or prescribed or notified under sub-section (7) of section 31 of the said Act in respect of goods being sent or taken out of India on approval for sale or return, which falls during the period from the 20<sup>th</sup> day of March, 2020 to the 30<sup>th</sup> day of October, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall stand extended upto the 31<sup>st</sup> day of October, 2020.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-10) 2122)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 910-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1942 (श10)  
(सं0 पटना 913) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 187 दिनांक 25 नवम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 110, दिनांक 06 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 267, दिनांक 06 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में,-

- (i) "किसी वित्तीय वर्ष" शब्दों के स्थान पर "2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की" शब्दों के पश्चात् "या निर्यात के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-8) 2125)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 187, दिनांक 25 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-8) 2125)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 25<sup>th</sup> November 2020

S.O. 187, Dated 25<sup>th</sup> November 2020— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 110, dated the 06<sup>th</sup> May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 267, dated the 06<sup>th</sup> May, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, -

- (i) for the words “a financial year”, the words and figures “any preceding financial year from 2017-18 onwards” shall be substituted;
- (ii) after the words “goods or services or both to a registered person”, the words “or for exports” shall be inserted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8) 2125)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 913-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1942 (श10)  
(सं0 पटना 914) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 188 दिनांक 25 नवम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 111, दिनांक 06 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 268, दिनांक 06 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) पहले अनुच्छेद में, "एक वित्तीय वर्ष" शब्दों के स्थान पर "2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ii) दूसरे अनुच्छेद में, "1 अक्टूबर, 2020" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 दिसम्बर, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

(सं०सं बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-11) 2126)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

25 नवम्बर 2020

एस० ओ० 188, दिनांक 25 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं०सं बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-11) 2126)]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 25<sup>th</sup> November 2020

S.O. 188, Dated 25<sup>th</sup> November 2020— In exercise of the powers conferred by sixth proviso to rule 46 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 111, dated the 06<sup>th</sup> May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 268, dated the 06<sup>th</sup> May, 2020, namely:—

In the said notification,—

- (i) in the first paragraph, for the words “a financial year”, the words and figures “any preceding financial year from 2017-18 onwards” shall be substituted;
- (ii) in the second paragraph, for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of October, 2020”, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of December, 2020” shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-11) 2126)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 914-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>